

कार्यालय मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ

पत्रांक 894 / वाहन / टेन्डर-नीलामी / 2019-20

दिनांक 06.07.2019

सार्वजनिक नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ के राजकीय वाहन जो कि उपमुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, हैवलकरोड, लखनऊ के परिसर में दिनांक 09.08.2019 को निम्न विवरण अनुसार निम्नयोज्य घोषित वाहन की खुली बोली/टेन्डर द्वारा नीलामी की जानी है।

क्र०सं०	लाट नं०	वाहन का विवरण	वाहन जहाँ पर है उक्त स्थान का नाम	धरोहर धनराशि (रु० में)
1	1	वाहन संख्या यू०पी० 32 डी० 5773 महेन्द्रा पीजो जीप 1991 डीजल चालित पंजीयन तिथि 06.12.1991 इंजन संख्या डी०एन० 27226 चेचिस संख्या डी०एन० 27226	उपमुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, हैवलकरोड, लखनऊ के परिसर में	5000=00
2	2	वाहन संख्या यू०पी० 32 टी० 6978 मॉडल 1991 टाटा 207 डीजल चालित पंजीयन तिथि 12.05.1997 इंजन संख्या 483 डी०एल० 41 एच०टी० क्यू 796459 चेचिस संख्या 374005 एच०टी० क्यू 930878	उपमुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, हैवलकरोड, लखनऊ के परिसर में	5000=00

- निविदा प्रपत्र का मूल्य 200=00 (रु० दो सौ मात्र)+ टैक्स निर्धारित है जो वापस नहीं होगा।
- नीलामी में खुली बोली/टेन्डर दोनो प्रक्रियाये अपनायी जायेगी।
- प्रत्येक लाट के लिये अलग-अलग टेन्डर देना होगा।
- अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से निविदा दिनांक 09.08.2019 को दोपहर 12:00 बजे तक क्रय किया जा सकता है, और उसी दिनांक 09.08.2019 को अपरान्ह 1:00 बजे तक बन्द लिफाफे में कार्यालय में जमा किया जा सकेगा, टेन्डर के साथ निर्धारित धनराशि कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।
- राजकीय वाहन जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में उपमुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, हैवलकरोड, लखनऊ के परिसर से उठाना होगा।
- खुली बोली दिनांक 09.08.2019 को अपरान्ह 2:00 बजे उपमुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, हैवलकरोड, लखनऊ के कार्यालय में कराई जायेगी। खुली बोली में भाग लेने वाले व्यक्ति को धरोहर धनराशि बोली प्रारम्भ होने से पूर्व 12:00 बजे तक जमा करनी होगी, टेन्डर दाता भी खुली

- बोली में भाग ले सकते हैं जिसके लिये उन्हें अलग से धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
7. नीलामी में अन्तिम बोली के पश्चात् टेन्डर खोले जायेगे, टेन्डर अथवा खुली बोली में जो धनराशि अधिक होगी उसी की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।
 8. अधिकतम दर देने वाले आफरदाता को कुल विक्रय धनराशि का 50 प्रतिशत तुरन्त तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि एवं देय कर स्वीकृत प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर जमा करना होगा। नीलामी से प्राप्त धनराशि पर 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 देय होगा।
 9. किसी भी टेन्डर/बोली को बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है।
 10. इच्छुक व्यक्ति/फर्म द्वारा राजकीय वाहन का निरीक्षण उपमुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, हैवलकरोड, लखनऊ के परिसर में किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 09.08.2019 तक प्रातः 10:00 बजे से 12:00 बजे तक किया जा सकता है।
 11. निर्धारित समय सीमा अन्तर्गत अधिकतम आफरदाता द्वारा सामान न उठाने पर रू0 200=00 प्रतिदिन की दर से प्रति लाट जुर्माना देना होगा।
 12. खुली बोली/टेन्डर सम्बन्धी अन्य जानकारी कार्यालय दिवस में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, विकास भवन, सर्वोदय नगर, लखनऊ 10:00 बजे से 5:00 बजे के बीच में ज्ञात की जा सकती है।

(डा0 तेज सिंह यादव)
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी
लखनऊ

कार्यालय मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ

नीलामी/टेन्डर की नियम व शर्तें

1. निविदा/नीलामी के माध्यम से निस्तारित होने वाले राजकीय वाहन कार्यालय उपमुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, हैवलकरोड, लखनऊ में रखे गये हैं जिन्हें किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 09.08.2019 तक प्रातः 10:00 बजे से 12:00 बजे तक देखा जा सकता है। निविदा/नीलामी में होने वाले राजकीय वाहन का विवरण कार्यालय मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी लखनऊ विकास भवन से किसी भी कार्य दिवस पर प्राप्त किया जा सकता है।
2. इच्छुक टेन्डरदाता द्वारा रू0 200=00 (रू0 दो सौ मात्र)+ टैक्स की धनराशि कार्यालय में जमा करके दिनांक 09.08.2019 को दोपहर 12:00 बजे तक टेन्डर फार्म क्रय किया जा सकता है। टेन्डर फार्म पूर्ण रूप से भरकर सील बन्द लिफाफे में निर्धारित धरोहर धनराशि जमा करने के पश्चात् दिनांक 09.08.2019 को अपरान्ह 1:00 बजे तक बन्द लिफाफे में जमा किये जा सकते हैं।
3. एक टेन्डर फार्म पर एक लाट का आफर दिया जा सकता है।
4. निविदा/नीलामी हेतु दिये गये आफर की धनराशि के अलावा निम्नानुसार देय जी0एस0टी0/सरचार्ज भी सफल खुली बोली/टेन्डर में उच्चतम आफरदाता को अतिरिक्त देना होगा।
5. बंद लिफाफे पर टेन्डरदाता को अपना पूरा पता व लाट नंबर लिखना होगा।
6. टेन्डर खोलने से पूर्व ही दिनांक 09.08.2019 को अपरान्ह 2:00 बजे प्रश्नगत राजकीय वाहन को खुली बोली द्वारा नीलामी कराने की कार्यवाही की जायेगी। खुली बोली में कोई भी व्यक्ति प्रति लाट पर निर्धारित अर्नेस्ट मनी रू0 5000=00 जमा करके भाग ले सकता है। टेन्डरदाता भी खुली बोली में भाग ले सकता है। परन्तु यदि वे टेन्डर के साथ अर्नेस्ट मनी जमा कर दिये हैं तो खुली बोली के लिये अर्नेस्ट मनी जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

क्र0सं0	लाट नं0	वाहन का विवरण	वाहन जहाँ पर है उक्त स्थान का नाम	धरोहर धनराशि (रू0 में)
1	1	वाहन संख्या यू0पी0 32 डी0 5773 महेन्द्रा पीजो जीप 1991 डीजल चालित पंजीयन तिथि 06.12.1991 इंजन संख्या डी0एन0 27226 चेचिस संख्या डी0एन0 27226	उपमुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, हैवलकरोड, लखनऊ के परिसर में	5000=00
2	2	वाहन संख्या यू0पी0 32 टी0 6978 मॉडल 1991 टाटा 207 डीजल चालित पंजीयन तिथि 12.05.1997 इंजन संख्या 483 डी0एल0 41 एच0टी0 क्यू 796459 चेचिस संख्या 374005 एच0टी0 क्यू 930878	उपमुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, हैवलकरोड, लखनऊ के परिसर में	5000=00

7. अधिकतम दर देने वाले खुली/टेन्डरदाताओं द्वारा जमा धरोहर धनराशि उनके द्वारा आफर की गई धनराशि में समायोजित कर लिया जायेगा। टेन्डरदाताओं की धरोहर धनराशि टेन्डर खोलने की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् वापस कर दी जायेगी।
8. अधिकतम आफर देने वाला खुली बोली/टेन्डरदाता यदि अपने से मुकर जाता है तो उसके द्वारा जमा की गई धरोहर धनराशि राज्य हित में जब्त कर ली जायेगी।
9. टेन्डर फार्म का मूल्य रू0 200=00 (रू0 दो सौ मात्र)+ टैक्स वापस नहीं किया जायेगा।
10. सफल खुली बोली/टेन्डरदाता को आफर की गई धनराशि का 50 प्रतिशत धन तुरन्त जमा करना होगा। शेष स्वीकृति प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर सम्पूर्ण धनराशि एवं देय जी0एस0टी0 एवं अन्य टैक्स का भुगतान करके राजकीय वाहन जिस स्थिति में है उसी स्थिति में एक सप्ताह के अन्दर उठाना होगा। इसमें असफल होने पर धरोहर धनराशि तथा 50 प्रतिशत जमा की गई धनराशि राज्य हित में जब्त कर ली जायेगी।
11. टेन्डरदाता की कोई शर्तें मान्य नहीं होगी।
12. अपूर्ण, अस्पष्ट, बिना अर्नेस्ट मनी के एवं हस्ताक्षर रहित टेन्डर को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
13. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रमुख सचिव, पशुधन, उ0प्र0 शासन का निर्णय अन्तिम होगा जो दोनों पक्षों को मान्य होगा तथा न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।
14. खुली बोली की प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त टेन्डर उपस्थित टेन्डरदाताओं के समक्ष क्रय विक्रय कमेटी द्वारा खोले जायेगे।
15. क्रय विक्रय कमेटी परिषद का निर्णय अन्तिम होगा, एक या समस्त खुली बोली व टेन्डरों को बिना कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
16. अर्नेस्ट मनी, एफ0डी0आर0 जो मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के नाम प्राप्ति हो के रूप में जमा किया जा सकता है, अर्नेस्ट मनी कौशियर के पास नकद भी जमा किया जा सकता है।
17. खुली बोली एवं टेन्डर दोनों प्रक्रियाओं में जिसमें अधिक आफर की धनराशि प्राप्त होगी, उसी आफर को स्वीकार किया जायेगा।

मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी
लखनऊ

